

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-603/ग्यारह-9(33)/2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(92)-2013
दिनांक: 13 मई, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 14 मई, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
12	सिगरेट/सिगार	नि० अथवा आ०	25%

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।